

न्यूनतम वेतन अधिनियम में आवर्त नियोजन में देय भत्ता।

राजाज्ञा संख्या 430/VIII/15-40 (श्रम)/2008 दिनांक 15 जुलाई 2015 एवं 1044(1)/VIII/15-40(श्रम)/2008 दिनांक 30 जुलाई 2015 के अनुसार कृषि के नियोजन में नियोजित अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2016=100 के आधार पर माह जनवरी 2024 से जून 2024 के 253 अंक के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 402 पर ₹20 प्रति अंक की दर पर दिनांक 01.10.2024 से 31.03.2025 तक की अवधि के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नवत् होगा।

$$(402-253) \times 20 = 2980.00$$

(दीप्ति सिंह)

श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।

संख्या 9007 /4-01/07

दिनांक : 21-4-24

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधीनस्थ अधिकारियों को सूचित कर प्रतिपालन कराये तथा श्रमिकों एवं सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें उपलब्ध करा दें।

- 1- अपर श्रम आयुक्त (प्र०), देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- उप श्रम आयुक्त, देहरादून, 298, हिमगिरी बिहार, अजबपुर खुर्द, देहरादून।
- 3- उप श्रम आयुक्त, हल्द्वानी, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।
- 4- उप श्रम आयुक्त, हरिद्वार, एस०जी०ओ० परिसर, निकट वाणिज्य कर कार्यालय, रोशनाबाद, हरिद्वार।
- 5- उप श्रम आयुक्त, ऊधमसिंह नगर, विकास भवन परिसर, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।

(दीप्ति सिंह)

श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।